संख्या - 1/2015/490/तीन -15-5(1) /04टीसी-2

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागपत/लखनऊ/मेरठ/रायबरेली/एटा/सहारनपुर।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ - दिनॉक - 28 जुलाई, 2015

विषय- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2487/तीन-5(9)85-सा.प्र.अनु दिनांक 07 जुलाई, 1987 शासनादेश संख्या वी.आई.पी.-111/तीन-98-5(14)/97-सा.प्र.अनु. दिनांक 06 मई, 1999 तथा शासनादेश संख्या 2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृखला से अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों नाम के सम्मुख अंकित रूपये 20,76,301/-(रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ एक मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अशोक चक्र श्रृंखला वर्ष 2015-16

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम	अलकृंत/पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकरण/पुरस्कार व्यक्ति के स्थाई निवास का पता	राज्य सरकार के अनुमन्य वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
01	शहीद पा चन्द्रशेखर	शौर्य चक्र (मरणोपरान्त) 21-09-2009	ग्रा0 व पोस्ट मवीकला तहसील बडौत जिला बागपत	एक मुश्त धनराशि रू0 10,000,00 /- वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु 192 दिनों की वार्षिकी रू0 26,301 एवं वित्तीय वष्र्ज्ञ 2010-11 से 2015-16 तक की कुल 06 वर्ष हेतु वार्षिकी 3,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि	आशा देवी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				13,26,301/- (तेरह लाख् छब्बीस हजार तीन सौ एक मात्र)	
02	कर्नल सुनील कुमार	शौर्य चक्र 14-11-1998	53, सुभाष नगर, सहारनपुर	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	कर्नल सुनील कुमार
03	ओ.ई.एम. सतीश कुमार	शौर्य चक्र 15-08-2009	महाराणा प्रताप कालोनी, छुटमलपुर, थाना फतेहपुर, तहसील बेहट, सहारनपुर	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	ओ.ई.एम. सतीश कुमार
04	शहीद मेजर कमल कालिया	शौर्य चक्र 26-01-1995	5/499, विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती अर्चना कालिया पत्नी मेजर कमल कालिया
05	शहीद सैपर अजमेर अली	कीर्ति चक्र 1987	ग्राम शोभापुर, पो0 फाजलपुर, जिला मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 1,00,000/-	श्रीमती अबरीशा खतून पत्नी शहीद सैपर अजमेर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					अली,
06	शहीद लांस नायक सोहन वीर सिंह	कीर्ति चक्र 27-8-2002	ग्राम व पोस्ट दबथवा, जिला मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 1,00,000/-	श्रीमती प्रभा देवी शहीद लांस नायक सोहन वीर सिंह
07	शहीद सिपाही देवेन्द्र कुमार	शौर्य चक्र 16-11-1993	ग्राम व पोस्ट सकौती टाण्ड, जिला मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी शहीद सिपाही देवेन्द्र कुमार
08	शहीद नायक अनिल कुमार	शौर्य चक्र 24-8-2003	ग्राम व पोस्ट परतापुर, जिला मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती सविता देवी पत्नी शहीद नायक अनिल कुमार
09	मेजर गौरव सिंह	शौर्य चक्र 1-8-2002	बी-9, बसंत बिहार, मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	मेजर गौरव सिंह
10	कैप्टन राहुल सिंह	शौर्य चक्र 15-8-2008	बी0एच0 133, पल्लवपुरम, फेस-1, मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	कैप्टन राहुल सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	श्री राम नरेश	शौर्य चक्र 15-8-2001	मोहल्ला चकबल्लीपुर, पो0 बेनीकामा, थाना भदोखर, तहसील एवं जिला रायबरेली	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्री राम नरेश
12	मेजर सौरभ दत्त खोलिया	शौर्य चक्र 15-8-2009	83/4, जागृति बिहार, मेरठ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	मेजर सौरभ दत्ता खोलिया
13	शहीद नायक राम सिंह	शौर्य चक्र 26-1-1999	ग्राम जीसुखपुर सानी पर0 एटासकीट, थाना रिजोर, तह0 सदर, जिला एटा	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती ज्ञानवती पत्नी शहीद नायक राम सिंह
14	शहीद हवलदार वीरेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र 15-8-2004	ग्राम पूठ पोस्ट इशारा पछाई पाटी, जनपद एटा	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती किरन देवी पत्नी शहीद हवलदार वीरेन्द्र सिंह
			कुल धनराशि रू0	20,76,301/-(बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ एक मात्र)	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिको को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय " के नामें डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाता की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त इलैक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर से सही व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाये कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवित हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाये तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जाये। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृति धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र " प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेगें।

6- आपसे यह भी अनुरोध है कि क़पया इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीक़ति वार्षिकी को आगामी वर्ष में स्वीकृति किये जाने के संबंध में अपना प्रस्ताव दिनॉक 30 अगस्त, 2015 तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि तद्नुसार आगामी वर्ष के आस-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराया जा सके और धनराशि स्वीकृति करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हों। यह शासनादेश http://shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2015/490(1)/तीन-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, बागपत/लखनऊ/मेरठ/रायबरेली/एटा/सहारनपुर।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्त कर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास निदेशालय, कैसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।